

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 27.11.2020

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
उन्नति प्राइवेट आईटीआई,
ब्लॉक निधोली कला एटा,
जिला - एटा, उत्तर प्रदेश

विषय: आईटीआई के ट्रेडिंग/यूनिट्स की डी-एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

इस महानिदेशालय को दिनांक 25.11.2020 को एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ । जिसमें यह बताया गया है कि आपकी आईटीआई में निम्नलिखित कमियां हैं :-

1. जमीन एस०के० कालेज नावली के नाम है, जबकि भूमि में कोई भी कालेज संचालित नहीं है ना ही कोई भवन बना हुआ है। जबकि किरायेनामें में दोनों प्रबन्धकों ने फर्जीवाडा कर 22 कमरे व टॉयलेट, वाशरूम बना हुआ दिखाया है। जिसका क्षेत्रफल 7 हजार वर्गमीटर दिखाया गया है। जबकि मौके पर मौजा नावली में गाटा सं०-148 व 149 में खेत में फसल खड़ी हई है।
2. उपरोक्त प्रबन्धक ने पूर्व से संचालित सूरज सिंह प्राथमिक विद्यालय व सूरज सिंह इण्टर कालेज व एस0डी0 बालिका पब्लिक स्कूल व एस०के० कन्या महाविद्यालय व एस०के० महाविद्यालय विशनपुर, मौजा बसुन्धरा जनपद एटा के भवन को दिखाकर उपरोक्त आई०टी०आई० की मान्यता ली है। जो कि मौजा बसुन्धरा में है।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के **15 दिन के भीतर (14.12.2020 तक)** प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आपको कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhhan.bs68@gov.in पर प्रेषित करना है ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश ।

2. (एन.सी.बी.टी. MIS कोड- PR09901277)

3. श्री विश्व कुमार पुत्र-श्री अमर सिंह, राउबाद,
पोस्ट बसुन्धरा, तहसील छबं जिला ~~बुलंदशहर~~ उत्तर प्रदेश- 2020.



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण